

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन
रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

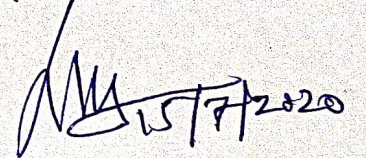
दिनांक: 15 जून, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19 मार्च, 2020 को आयोजित 139^{वीं} बैठक में लिए गए निर्णयों पर (मद संख्या-2) अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की दिनांक 19 मार्च, 2020 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 139^{वीं} बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि कई अनुभाग तिमाही रिपोर्ट सावधानी से नहीं भरते हैं जिससे उनका वास्तविक प्रतिशत प्रदर्शित नहीं हो पाता है। यद्यपि, राजभाषा निरीक्षणों के दौरान तथा हिंदी कार्यशालाओं में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है।

अतः अनुरोध है कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट सावधानीपूर्वक भरी जाए तथा इसे भरते समय इसमें ई-मेल, ई-ऑफिस, फैक्स आदि से भेजे जाने वाले हिंदी/अंग्रेजी पत्रों के आंकड़े भी शामिल किए जाएं।



(रजिन्दर पॉल)

उप निदेशक (राजभाषा)
टेलीफोन नं. 29583720

प्रतिलिपि:-

1. सभी निदेशक/नदी प्रबंध (समन्वय)/डी एंड आर/जल आयोजना व परियोजना
2. सभी अनुभाग